Hindi/हिंदी

AEC Australian Electoral Commission

2019 के फ़ेडरल इलेक्शन (संघीय चुनावों) के लिए **आपकी ऑफ़िशिअल गाईड (मार्गदर्शक पुस्तिका)**

शनिवार 18 मई 2019

आपका वोट ऑस्ट्रेलिया का स्वरूप ढालने में सहायता देगा

18 वर्ष या इससे अधिक आयु के सभी ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों के लिए वोट देना (मतदान करना) अनिवार्य है

चुनाव का दिन शनिवार 18 मई 2019 को है।
चुनाव-केंद्र प्रात: ठीक 8 बजे से सायं ठीक 6 बजे तक खुले रहेंगे।

मुझे वोट कहाँ देना होगा ?

चुनाव के दिन आप अपने राज्य या टेरिटरी के किसी भी मतदान केंद्र पर वोट दे सकते हैं।

चुनाव-केंद्र आम तौर पर स्थानीय विद्यालयों, गिरजाघरों और सामुदायिक हॉलों, या सरकारी भवनों में स्थित होते हैं।

अपने नज़दीकी चुनाव-केंद्र का पता लगाने के लिए **www.aec.gov.au/where** पर जाएँ। चुनाव-केंद्रों की जानकारी चुनाव के दिन से एक दिन पहले महानगरों के मुख्य समाचारपत्रों में भी प्रकाशित की जाएगी।

चुनाव-केंद्रों की जानकारी और कौन-कौन से चुनाव-केंद्र विकलांगों के लिए कितने अभिगम्य हैं, यह आप **www.aec.gov.au/where** पर देख सकते हैं।

नेत्रहीन और कम दृष्टि वाले लोगों के लिए वोट देने के विकल्प जानने के लिए कृपया 13 23 26 पर फ़ोन करें।

चुनाव के दिन यदि आप अपने राज्य या टेरिटरी से बाहर होंगे तो आप किसी भी नामज़द इंटरस्टेट वोटिंग सेंटर में वोट दे सकते हैं, या नीचे दिए गए चुनाव से पूर्व वोट देने के विकल्पों पर विचार कर सकते हैं।

यदि चुनाव के दिन मेरे लिए वोट देना संभव न हो तो ?

चुनाव के दिन यदि आप अपने राज्य या टेरिटरी के किसी चुनाव-केंद्र तक नहीं पहुँच सकते तो आप उससे पहले व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा वोट देने के पात्र हो सकते हैं।

चुनाव से पहले व्यक्तिगत रूप से वोट कैसे दें

चुनाव के दिन से पहले आप व्यक्तिगत रूप से किसी अर्ली वोटिंग सेंटर में, मोबाईल पोलिंग टीम के साथ, या विदेश में किसी ऑस्ट्रेलियन वोटिंग सेंटर में वोट दे सकते हैं।

अर्ली वोटिंग सेंटर **सोमवार 29 अप्रैल 2019** से खुले होंगे। इनके खुलने के दिन और समय अलग-अलग हो सकते हैं, इसलिए हर अर्ली वोटिंग सेंटर के बारे में जानकारी के लिए **www.aec.gov.au/where** पर जाएँ।

अपनी पात्रता और अधिक जानकारी के लिए **www.aec.gov.au** पर जाएँ या 13 23 26 पर फ़ोन करें।

चुनाव से पहले डाक द्वारा वोट कैसे दें

यदि आप इसके पात्र हैं, तो आप ऑनलाइन **www.aec.gov.au/pva** पर पोस्टल वोट (डाक द्वारा मतदान) के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र ए ई सी (ऑस्ट्रेलियाई चुनाव आयोग) के सभी कार्यालयों से भी उपलब्ध हैं। पोस्टल वोट के लिए आपका आवेदन ए इ सी को **बुधवार 15 मई 2019 को सायं 6 बजे** तक मिल जाना चाहिए।

क्या मेरे इलेक्टोरल डिवीज़न (निर्वाचन क्षेत्र) में परिवर्तन हुआ है ?

अब कुल 151 फ़ेडरल इलेक्टोरल डिवीज़न हैं (इनमें दो नए डिवीज़न शामिल हैं)। पिछले फ़ेडरल चुनावों के उपरांत कुछ डिवीज़नों के नाम बदल गए हैं, और अनेक डिवीज़नों की सीमाओं में परिवर्तन हुआ है।

आप किस इलेक्टोरल डिवीज़न में रहते हैं, यह देखने के लिए **www.aec.gov.au/electorate** पर जाएँ।

आप अपना वोट किसे दें, यह निर्णय आप करेंगे

चुनाव केन्द्रों के बाहर उम्मीदवारों के प्रतिनिधि आपको हाउ टु वोट (वोट कैसे दें) कार्ड देने के लिए पूछ सकते हैं जिनमें आपको एक विशिष्ट रूप से वोट देने का आग्रह होगा। आपके लिए हाउ टु वोट कार्ड लेना या उसके अनुसार वोट देना ज़रूरी नहीं है।

आपका वोट गिनती में शामिल हो, यह सुनिश्चित करना

चुनाव के दिन आपको **दो मतपत्र** दिए जाएँगे:

- एक हरे रंग का, हाउस ऑफ़ रिप्रेज़ेंटेटिव्ज़ के लिए, और
- एक सफ़ेद रंग का, सीनेट के लिए।

आपको दोनों मतपत्रों को भरना होगा।

हरे मतपत्र पर आप हाउस ऑफ़ रिप्रेज़ेंटेटिव्ज़ के लिए अपने स्थानीय क्षेत्र या इलेक्टोरेट (निर्वाचन क्षेत्र) के लिए एक प्रतिनिधि चुनने के लिए वोट देंगे।

सफ़ेद मतपत्र पर आप सीनेट के लिए अपने राज्य या टेरिटरी के प्रतिनिधियों को चुनने के लिए वोट देंगे।

यदि आप ग़लती करते हैं तो चिंता न करें। आप दूसरा मतपत्र माँग सकते हैं और उसे फिर से भर सकते हैं।

क्या आप जानते हैं कि आप ए इ सी की वेबसाईट पर वोट देने का अभ्यास कर सकते हैं? **www.aec.gov.au/practise-voting** पर जाएँ।

हाउस ऑफ़ रिप्रेज़ेंटेटिव्ज़

हरे मतपत्र पर **हर खाने में** अपनी प्राथमिकता के अनुसार एक नंबर अवश्य लिखें।

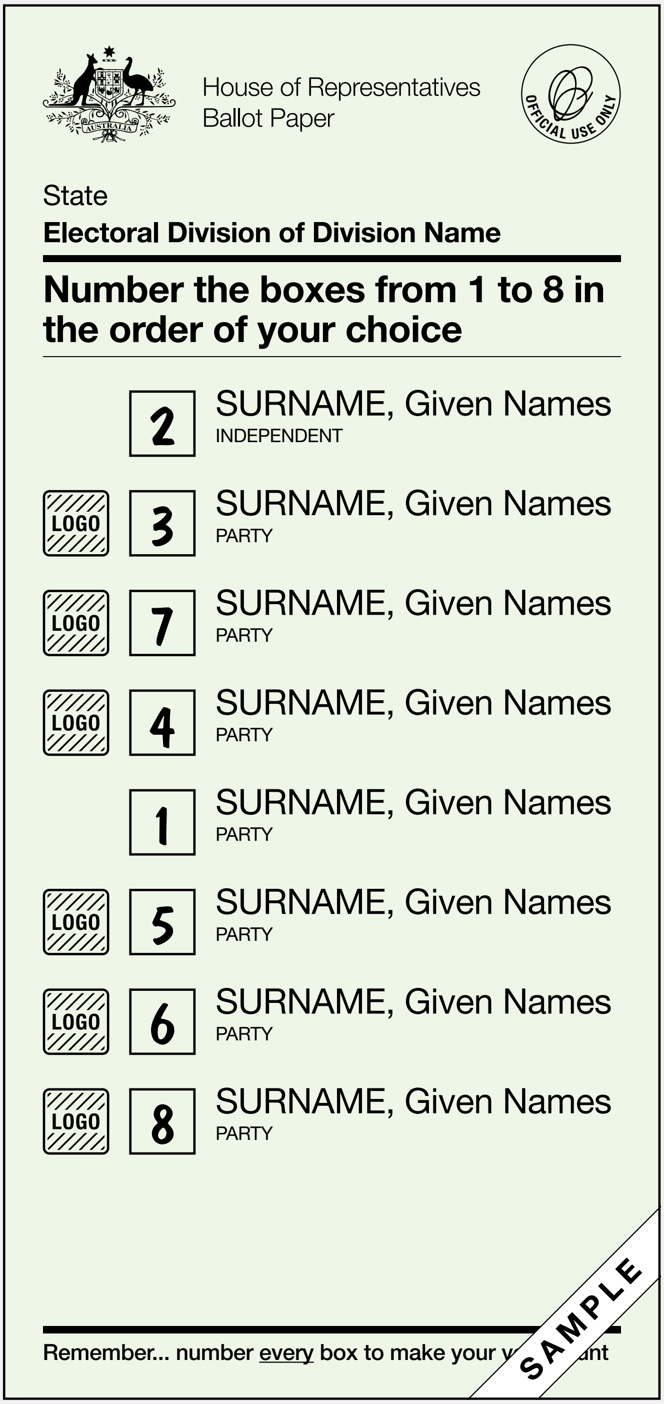
House of Representatives
Ballot Paper

OFFICIAL USE ONLY

State
Electoral Division of Division Name

Number the boxes from 1 to 8 in the order of your choice

	2	SURNAME, Given Names INDEPENDENT
LOGO	3	SURNAME, Given Names PARTY
LOGO	7	SURNAME, Given Names PARTY
LOGO	4	SURNAME, Given Names PARTY
	1	SURNAME, Given Names PARTY
LOGO	5	SURNAME, Given Names PARTY
LOGO	6	SURNAME, Given Names PARTY
LOGO	8	SURNAME, Given Names PARTY

Remember... number every box to make your v unt

SAMPLE

मतपत्र का नमूना

सीनेट

सफ़ेद मतपत्र पर आप दो में से किसी एक तरीके से वोट देने का चुनाव कर सकते हैं:

या तो

लाइन से ऊपर

यदि आप लाइन से ऊपर मतदान के तरीके का चुनाव करते हैं, तो आपको **कम से कम 6 खानों** में नम्बर लिखने होंगे।

अपनी सबसे अधिक पसंद की पार्टी या समूह के ख़ाने में ‘1’ लिखें, अपनी दूसरी पसंद के ख़ाने में ‘2’ लिखें और इस तरह से कम से कम 6 खानों को भरें। लाइन से ऊपर के बाक़ी जितने खानों में भी आप अपनी पसंद के अनुसार नंबर लिखना चाहें, लिख सकते हैं।

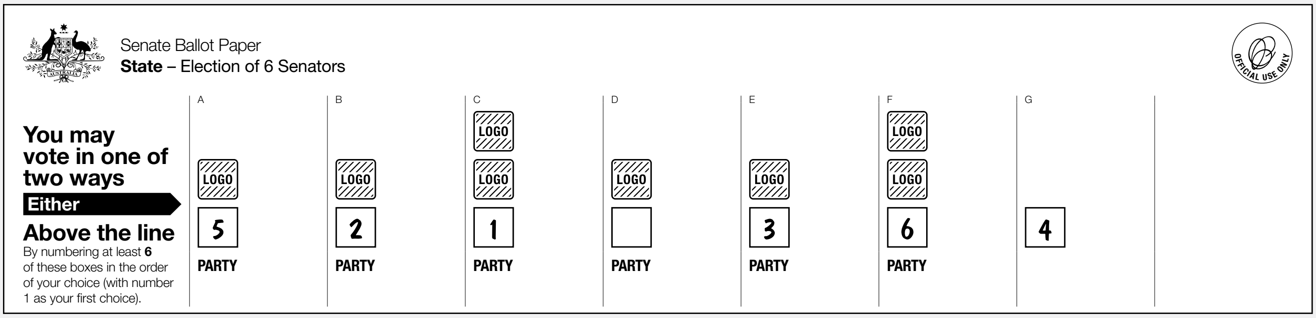

या

लाइन के नीचे

यदि आप लाइन के नीचे मतदान के तरीके का चुनाव करते हैं तो आपको **कम से कम 12 खानों में**, अपनी पसंद के क्रम में, व्यक्तिगत उम्मीदवारों के लिए 1 से 12 तक नम्बर लिखने होंगे। लाइन के नीचे बाक़ी जितने खानों में भी आप अपनी पसंद के अनुसार नंबर लिखना चाहें, लिख सकते हैं।

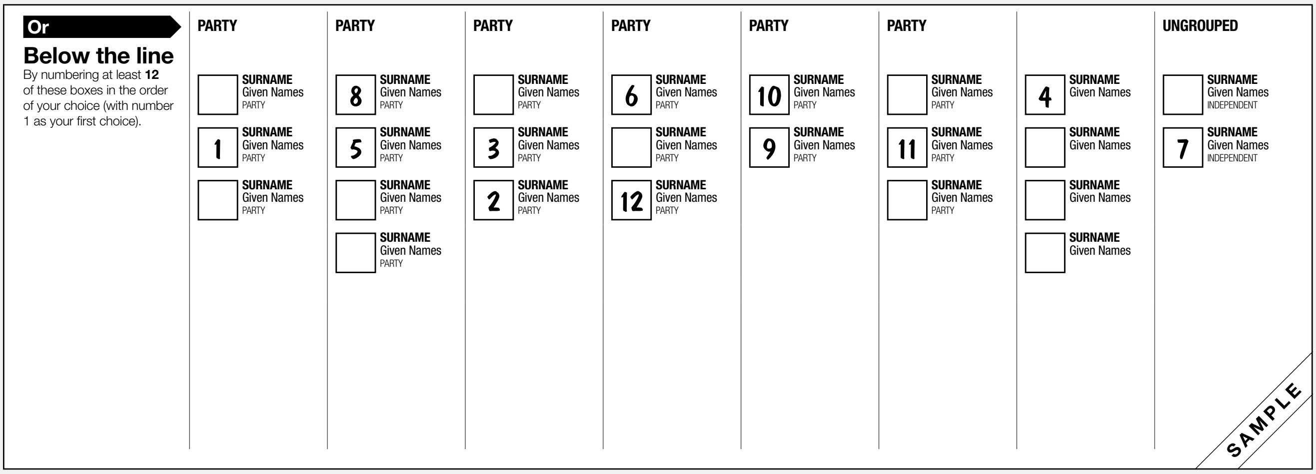

मतपत्र का नमूना

यदि आप ग़लती करते हैं तो चिंता न करें। आप दूसरा मतपत्र माँग सकते हैं और उसे फिर से भर सकते हैं।

क्या आप जानते हैं कि आप ए इ सी की वेबसाईट पर वोट देने का अभ्यास कर सकते हैं?
www.aec.gov.au/practise-voting पर जाएँ।

चुनाव केंद्र पर क्या होगा?

1. चुनाव केंद्र में एक अधिकारी आपसे आपका पूरा नाम और पता, तथा यह पूछेगा कि क्या आपने उस चुनाव के लिए पहले भी वोट दिया है। वह मतदाता सूची में आपके नाम के आगे निशान लगा देगा।

2. आपको दो मतपत्र दिए जाएँगे – हाउस ऑफ़ रिप्रेज़ेंटेटिव्ज़ के लिए हरे रंग का और सीनेट के लिए सफ़ेद रंग का।

3. **दोनों मतपत्रों पर दी गयी हिदायतों को ध्यान से पढ़ें।** यदि आपको कोई शंका हो तो किसी चुनाव अधिकारी से सहायता माँगें।

4. मतपत्रों को भरने के बाद उन्हें तह करके उनके उचित बैलट बॉक्स (मतपेटिका) में डाल दें।

इस गाईड के वैकल्पिक रूप

www.aec.gov.au पर आप इस गाईड को अन्य रूपों में भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि ऑडियो (सुनने के लिए) या बडे प्रिंट में। इसके ब्रेल रूप के लिए आप 13 23 26 पर फ़ोन कर सकते हैं।

यदि आप बहरे हैं या सुनने अथवा बोलने में दुर्बल हैं तो हमसे नेशनल रिले सर्विस (एन आर एस) के द्वारा संपर्क करें:

- टी टी वाई का इस्तेमाल करने वाले 13 36 77 पर फ़ोन करें और 13 23 26 का हवाला दें।
- स्पीक एंड लिसन का इस्तेमाल करने वाले 1300 555 727 पर फ़ोन करें और 13 23 26 का हवाला दें।
- इंटरनेट रिले का इस्तेमाल करने वाले एन आर एस से कनेक्ट करें और 13 23 26 का हवाला दें।

अन्य भाषाओं में जानकारी

इस गाईड के अन्य भाषाओं में अनुवाद **www.aec.gov.au/translated** से डाउनलोड किये जा सकते हैं।

टेलीफ़ोन दुभाषिया सेवा

वोट देने और चुनाव के बारे में जानकारी के लिए टेलीफ़ोन दुभाषिया सेवाएँ उपलब्ध हैं। 1300 720 153 पर फ़ोन करें और अपनी भाषा के लिए पूछें।

18 वर्ष या इससे अधिक आयु के सभी ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों के लिए वोट देना (मतदान करना) अनिवार्य है। यदि आप वोट नहीं देते हैं तो आप पर मुक़दमा चलाया जा सकता है।

यदि आप एक से अधिक बार वोट देते हैं तो यह दंडनीय अपराध होगा।

17_0919

www.aec.gov.au 13 23 26

Authorised by the Electoral Commissioner, Canberra.